

झारखण्ड सरकार
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

अरवा राजकमल,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

पुलिस अधीक्षक,
पाकुड़।

राँची, दिनांक- / /2024 ई०।

विषय :-

कर्तव्य के दौरान दिनांक-02.07.2013 को उग्रवादी हिंसा में शहीद अमरजीत बलिहार, भा०पु०से० तत्कालीन पुलिस अधीक्षक, पाकुड़ के आश्रित पुत्र श्री अविनाश जैकब बलिहार के शिक्षण शुल्क राशि कुल रू० 1,56,180/- (एक लाख छप्पन हजार एक सौ अस्सी रुपये) मात्र का आवंटन के संबंध में।

महाशय,

विभागीय स्वीकृत्यादेश सं०-556, दिनांक 11.03.2024 के आलोक में उपर्युक्त विषय के अनुरूप कुल रू० 1,56,180/- (एक लाख छप्पन हजार एक सौ अस्सी रुपये) मात्र की राशि आवंटित की जाती है।

2. उपरोक्त राशि वित्तीय वर्ष 2023-24 के स्थापना व्यय बजट शीर्ष-2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएँ-800-अन्य व्यय-09-उग्रवादी घटनाओं में मारे गये/घायल पुलिसकर्मी/ग्रामीण पुलिस/गृह रक्षकों को विशेष अनुग्रह अनुदान-06-अनुदान-49-आर्थिक सहायता, विपत्र कोड-22S20700080009000649 के अन्तर्गत उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

3. उक्त राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पुलिस अधीक्षक, पाकुड़ अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी होंगे।

4. उक्त राशि की निकासी जिला कोषागार, पाकुड़ से की जायेगी।

5. राशि का भुगतान उपायुक्त द्वारा उचित पहचान के आधार पर किया जायगा। लाभुकों को राशि का भुगतान DBT के माध्यम से किया जायगा।

6. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी खर्च का अभिश्रव संघारित करेंगे और व्यय का सत्यापन महालेखाकार कार्यालय से कराकर प्रतिवेदन गृह विभाग के बजट शाखा को उपलब्ध करायेंगे।

7. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी आवंटित राशि का विचलन अन्य कार्यों के लिए नहीं करेंगे तथा खर्च न होने वाली (बचत की) राशि को इस वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पूर्व प्रत्यर्पित करने की कार्रवाई करेंगे।

8. यह आवंटन आदेश वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 2561/वि० (2), दिनांक 17.04.1998 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

9. राशि की निकासी में झारखण्ड कोषागार संहिता 2016 के नियम 74 का अनुपालन सख्ती से किया जायेगा।

10. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी आश्रित को भुगतान की गयी राशि से संबंधित महालेखाकार (ले० एवं हक०), झारखण्ड को विहित प्रपत्र में प्रेषित उपयोगिता प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि गृह विभाग को अविलंब प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे।

11. भारत सरकार से सुरक्षा संबंधी व्यय (SRE) प्रतिपूर्ति के निमित्त भुगतान संबंधी अभिलेख की छायाप्रति ससमय निश्चित रूप से उपलब्ध करा दी जाय।

विश्वासभाजन,

ह०/-

(अरवा राजकमल)


सरकार के सचिव।

ज्ञापांक - 4/अनु०अनु०(2)-806/2020/ राँची, दिनांक- / /2024 ई०।
प्रतिलिपि - कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, पाकुड़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक - 4/अनु०अनु०(2)-806/2020/ राँची, दिनांक- 16/03/2024 ई०।
प्रतिलिपि - महालेखाकार (लेखा एवं हक०), झारखण्ड, राँची/नोडल पदाधिकारी, विभागीय पोर्टल/उप सचिव- 18, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



सरकार के सचिव।



आवंटन आदेश

झारखंड सरकार


Home, Jail and Disaster Management Department (Home Division)

चाहू वित्तीय वर्ष 2023-24 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है

पत्र संख्या - 4/AA(2)-806/20/186

दिनांक - 16-Mar-2024

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 22 20700080009000649 2070 - अन्य प्रशासनिक सेवाएं 00 - अन्य प्रशासनिक सेवाएं 800 - अन्य व्यय 09 - उपवादी घटनाओं में मारे गए पुलिस कर्मी / ग्रामीण पुलिस / होम गार्ड / गृह रक्षकों का विशेष अनुग्रह अनुदान 00-NA 06 - अनुदान Establishment Expenditure State Scheme : NA Central Scheme : NA	95091	PKRPOL001 PRABHAT KUMAR SUPERINTENDENT OF POLICE PAKUR 49 - आर्थिक सहायता	156,180.00 रुपये एक लाख छप्पन हजार एक सौ अस्सी



योग: रुपये एक लाख छप्पन हजार एक सौ अस्सी

156,180.00

क्रमिक योग:

(ARAVA RAJKAMAL)
SECRETARY